# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सीताराम / हनुमान

376/2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24/9/21 | पत्रावली प्रस्तुत हुई । अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित । अधिवक्ता अप्रार्थी/रिस्पो. संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र स्थगन प्रस्तुत किया जिसकी प्रति अधिवक्ता अपीलांट को दिलवाई गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण की इस स्टेज पर दौराने बहस प्रस्तुत तथ्यों के परिपेक्ष में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है। जिसके विरुद्द अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस अपील के अपीलार्थी द्वारा कोई उज्र/आपत्ति जाहिर नही कर सीधे ही अपीलाधीन अन्तरिम आदेश को इस अपील के माध्यम से चुनोती दी गयी है जबकि अपीलाधीन अन्तरिम आदेश से यदि अपीलार्थी को कोई उज्र/आपत्ति है तो सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उसके सन्दर्भ में आपत्ति जाहिर करनी चाहिए किन्तु ऐसा नही कर अपीलाधीन अन्तरिम आदेश को इस अपील के माध्यम से चुनोती दिए जाना उचित प्रतीत नही होता है एवं चूँकि इस न्यायालय के समक्ष दोनों पक्ष अब उपस्थित आ गये है अत: अन्तरिम आदेश जैर अपील में कोई हस्तक्षेप नही करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दिनांक 18/10/2021 को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विधिसम्मत निस्तारण करे। उभयपक्षों को जरिये अधिवक्ता यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18/10/2021 को उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करे। इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>जयपुर | |

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर